

वार्षिक रिपोर्ट
2014-15

14

अध्याय



महिला सशक्तिकरण

महिला सशक्तिकरण

31.01.2015 की स्थिति के अनुसार कोयला मंत्रालय में अधिकारियों/कर्मचारियों की कुल संख्या 130 है जिनमें से 16 (अर्थात् करीब 12%) महिला कर्मचारी हैं। इन 16 कर्मचारियों में से 8 राजपत्रित अधिकारी हैं।

- कोल इंडिया लिमिटेड में 31.12.2014 तक 25,817 महिला कर्मचारी सेवारत थीं। यह कुल श्रमशक्ति का 7.67% है। महिला कार्यपालकों की संख्या करीब 946 है तथा कुशल/मसिक वेतन पर कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या 6033 है, शेष अकुशल/दिहाड़ी कामगार हैं। कोल इंडिया में पुरुषों के मुकाबले महिला कर्मचारियों की कम संख्या मुख्यतः काम की प्रकृति ही है। कोयला खनन का काम मूलतः श्रमसाध्य एवं जोखिमपूर्ण है। साथ ही, भूमिगत खानों में महिला कर्मचारियों के प्रवेश निषेध के बारे में भी विनियम है। अधिसंख्य महिला कार्यपालक प्रशासनिक विषयों, यथा—कार्मिक, वित्त, सीएसआर कार्य आदि से संबंधित हैं।
- मातृत्व—हितलाभ अधिनियम एवं समान पारिश्रमिक अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है जिससे कंपनी के महिला कर्मचारी लाभान्वित हो रही हैं।
- सीआईएल ने परिचारिका प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है जिसमें प्रशिक्षणार्थी परिचारिकाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे उद्योग के अंदर या उसके आस—पास रोजगार के अवसर प्राप्त कर सकें।
- महिला मण्डल, महिला समिति तथा ऐसे ही अन्य मंच कोलफील्ड के विभिन्न एककों/संस्थानों में काम कर रहे हैं और वे महिला कर्मचारियों और उनके प्रति आश्रितों के कल्याण कार्यों की देख—रेख कर रहे हैं। वे समय—समय पर संगोष्ठियों, सम्मेलनों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आयोजन करते हैं।
- मजूरी समझौते के अनुसार सेवावदि के दौरान मृत्यु को प्राप्त कर्मचारियों के महिला आश्रितों को रोजगार अथवा मौद्रिक क्षतिपूर्ति प्रदान की जाती है।
- राष्ट्रीय महिला आयोग के दिशा—निर्देशों के आधार पर एक महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है जो भेद—भाव एवं यौन उत्पीड़न के विरुद्ध शिकायतों की जांच करता है।
- कोलकाता तथा पांच सहायक कंपनियों अर्थात् ईसीएल बीसीसीएस, सीसीएल, एसईसीएल तथा सीएमपीडीआई में

सार्वजनिक क्षेत्र प्रकोष्ठ में महिलों के लिए एक मंच की स्थापना की गई है। प्रत्येक डब्ल्यूआई पी एस प्रकोष्ठ की अध्यक्षता एक समन्वयक करता हूं जो विधिवत् गठित एक समिति की सहायता से मंच के क्रियाकलापों की योजना बनाता हूं तथा उन्हें निष्पादित करता हूं। कंपनी डब्ल्यूआई पी एस के कार्यकलापों में सक्रिय सहयोग देती है जिनमें कल्याण, प्रशिक्षण एवं विकास कार्य, संगोष्ठियां, सांस्कृतिक कार्यक्रम, औद्योगिक चेतना दौरा स्वारथ्य जागरूकता कार्यक्रम आदि शामिल हैं। हाल के वर्षों में डब्ल्यूआई पी एस प्रकोष्ठ ने निचले स्तर की महिला कर्मचारियों में प्रचार—प्रसार, लाभदायक रोजगार, प्रशिक्षण के बारे में सुझाव तथा असाधारण उपलब्धियों एवं अपवादात्मक प्रतिभा को मान्यता तथा सम्मान देकर उनके नैतिक बल को बढ़ाने का प्रशंसनीय कार्य किया है।

- वर्ष 2014–15 के दौरान डब्ल्यूआई पी एस सी आई एल (मुख्यालय) द्वारा किए गए विशेष कार्य
- सीआईएलडब्ल्यूआईपीएस ने सीआईएल के पर्यावरण प्रकोष्ठ के सहयोग से विश्व पर्यावरण दिवस अर्थात् 05 जून 2014 को कर्मचारियों तथा उनके बच्चों के लिए पोस्टर निर्माण प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- बंगाल चैंबर आफ कामर्श एण्ड इण्डस्ट्रीज ने 10 जुलाई, 2014 एक कार्मिक संगोष्ठी का आयोजन किया। इसमें करीब 150 प्रतियोगियों ने भाग लिया जिनमें से अधिकतर महिलाएं थीं जो भिन्न—भिन्न सहायक कंपनियों से थीं।
- सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों ने 9 अगस्त, 2014 को निहारिका का दौरा किया जो निराश्रित बच्चों के लिए एक आश्रय है। इस अवसर पर कम्प्यूटर टेबल, शब्दकोष, ग्लोब, पुस्तकें आदि वितरित किए गए।
- सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस ने 20 अगस्त 2014 को कोयला भवन में वाद—विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया। अनेक महिला कर्मचारियों ने इसमें उत्साहपूर्वक भाग लिया।
- सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस ने मदर टेरेस को शृद्धांजलि अर्पित करने हेतु 5 सितम्बर 2014 को उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर मदर हाउस का दौरा किया। सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस के सदस्यों ने धर्मार्थ मिशनरियों के परिव्यक्त, निराश्रित तथा निःशक्त बच्चों के लिए भी वहीं का दौरा किया। सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस ने इन बच्चों के लिए मध्याह्न भोजन की व्यवस्था की तथा उनमें कपड़े भी बांटे।

- मानसिक रूप से कमज़ोर बच्चों के विकास के लिए संघ को सहायता
- डब्ल्यूआईपीएस—सीआईएल ने आत्मविमुग्ध बच्चों के लिए कुर्सियां बनवाई।
- सीआईएल डब्ल्यूआईपीएस दल ने यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 तथा विशाख दिशा—निर्देशों के संबंध में नवीनतम दिशा—निर्देशों की जानकारी देने के लिए 18.12.2014 को विशेष प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन किया।

नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन में 30 नवंबर, 2014 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 1225 थी जिसमें 352 कार्यपालक थी। उनकी क्षमता के विकास के लिए निम्नलिखित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था:-

- एक डॉक्टर सहित महिला कार्यपालकों की समिति का गठन किया गया ताकि कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाया जा सके।
- सेवारत महिला कर्मचारियों के लाभार्थ 'अनबालय' नामक शिशुसदन की शुरुआत की गई जिसमें प्रशिक्षित कार्मिक सेवारत हैं।
- डब्ल्यूआईपीएस नेवेली ने स्तनपान के महत्व का प्रचार करने के लिए 06.08.2014 को विवर प्रतियोगिता का आयोजन किया।
- डब्ल्यूआईपीके एनएलसी शाखा ने महिलाओं के लाभ के लिए कई बार खेलकूद, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, समूह परिचर्या आदि का आयोजन किया। अप्रैल से नवंबर, 2014 तक 363 महिला कर्मचारियों को विशेष कार्यशालाओं में प्रशिक्षण दिया गया है।

सिंगरेनी कोलियरीज कंपनी लिमिटेड-31.12.2014 तक महिला कर्मचारियों की संख्या 2018 थी जबकि कर्मचारियों की कुल संख्या 59,074 थी। कार्यपालकों / गैर—कार्यपालकों की संख्या निम्नवत है:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| एससीसीएल के 11 क्षेत्र | 1653 |
| कॉरपोरेट तथा हैदराबाद कार्यालय | 363 |
| कुल | 2018 |
| | |
| कार्यपालक संवर्ग | 105 |
| गैर—कार्यपालक संवर्ग | 1913 |
| कुल | 2018 |

अनेक कल्याण योजनाएं निम्नलिखित क्षेत्रों पर जोर देते हुए चलाई जा रहीं हैं:

- कंपनी की महिला कर्मचारियों के लाभार्थ मातृत्व लाभ अधिनियम के प्रावधानों का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इस

अधिनियम के अंतर्गत महिला कर्मचारियों को मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

- महिला कर्मचारियों की रोजगार से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए महिला प्रकोष्ठ का गठन किया गया है।
- कॉर्पोरेट का महिला प्रकोष्ठ प्रत्येक वर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर विवर, सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि का आयोजन करता रहा है।
- सिंगरेनी कर्मचारी पटनी संघ (सेवा) के सहयोग से स्वास्थ्य एवं सफाई, साक्षरता, बाल शिक्षा, सुरक्षा, सेवानिवृत्ति उपरांत योजना आदि से संबंधित कार्यशालाओं का नियमित आयोजन किया जा रहा है।
- वर्ष 2014–15 के दौरान एससीसीएल के अस्पताल में परिवार नियोजना संबंधी 960 ॲपरेशन (618 नागरिकों सहित) किए गए।
- एससीसीएल कर्मचारियों के बच्चों को शैक्षिक सुविधाएं प्रदान करता रहा है।

एससीसीएल निम्नलिखित शैक्षिक संस्थानों का संचालन कर रहा है जिनमें छात्राओं की संख्या काफी अधिक है:

| | | |
|-------------------------------|---|---|
| डिग्री कॉलेज (सिर्फ छात्राएं) | — | 1 |
| जूनियर कॉलेज (सिर्फ छात्राएं) | — | 1 |
| पॉलीटेक्निक कॉलेज | — | 1 |
| हाईस्कूल | — | 9 |

- एससीसीएल के कर्मचारियों के बच्चे यदि ईएससीईटी/आईआईटी/जेईई(मुख्य) के माध्यम से इंजीनियरिंग व मेडिकल पाठ्यक्रमों के लिए चुने जाते हैं और उनका रैंक 2000 से कम होता है तो प्रत्येक छात्र को प्रति वर्ष 10000/- रुपए की मेघा छात्रवृत्ति दी जाती है।
- एससीसीएल के कर्मचारियों तथा पूर्व कर्मचारियों के बच्चों को सिंगरेनी सेवा समिति द्वारा व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें तथा इस कार्य में लड़कियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।
- एसआरकेएम नर्सिंग कॉलेज, मानचेरियल में प्रवंधन कोटा के 50 प्रतिशत स्थान बीएससी नर्सिंग पाठ्यक्रम में दाखिला हेतु एससीसीएल के बच्चों के लिए आरक्षित हैं।
- एससीसीएल ने व्यापक साक्षरता कार्यक्रम की शुरुआत की है तथा इसमें महिलाओं तथा लड़कियों को विशेष प्राथमिकता दी जाती है।